मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मध्यप्रदेश मंत्रालय

क्रमांक : 100/मु.स./06/साप्रवि भोपाल, दिनांक : 22-4-2006

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

विषयः निजी निवेश संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए 'प्रोजेक्ट क्लीयरेन्स एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन बोर्ड' की व्यवस्था ।

सन्दर्भः सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ-19/51/2006/1/4, भोपाल, दिनांक 18, अप्रैल, 2006.

---

1. प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन बोर्ड का गठन एवं उद्देश्य :-

प्रदेश में उद्योग, सेवा, अधोसंरचना अथवा अन्य उपक्रमों में पूंजी निवेश हेतु कम्पनियों, फर्मो, समूहों अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं । इन प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति के लिए अंतर्विभागीय समन्वय एवं निर्णयों की आवश्यकता होती है ।

निजी निवेशकों के इस तरह के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग में अनावश्यक विलम्ब न हो, सभी संबंधित विभाग परियोजना के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त कर सकें तथा निवेशकों को भिन्न-भिन्न विभागों में जाकर अपने प्रस्ताव का अनुश्रवण करने की आवश्यकता न हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से प्रदेश में 'प्रोजेक्ट क्लीयरेन्स एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन बोर्ड' का गठन किया गया है । (आदेश की प्रति संलग्न है) । इस बोर्ड के सदस्य सचिव, प्रबंध संचालक, ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन(ट्राईफेक) लिमिटेड भोपाल हैं । (प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ट्राईफेक के पदेन प्रबंध संचालक हैं ।)

यह बोर्ड प्रदेश में निजी निवेश के समस्त प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एवं स्वीकृति की सम्पूर्ण प्रकिया का अनुश्रवण कर निजी निवेश के प्रस्ताव पर आवश्यक स्वीकृति / सहमति समय-सीमा में सुनिश्चित कराएगा । बोर्ड ही परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् उसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को भी आवश्यकतानुसार निराकृत करेगा ।

PS/ADDL.D.I.(T) No. 226
DATED 1.5.06

2. निजी निवेश हेतु आवेदन / प्रस्ताव :-

1 कोई भी ईच्छुक निवेशक अपने निजी निवेश का प्रस्ताव / आवेदन बोर्ड के सचिव अथवा संबंधित विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा ।

2 मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को निजी निवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव भी बोर्ड को भेजे जाएँगे ।

3 विभाग स्वप्रेरणा से निजी निवेश संबंधी पूर्व से लम्बित अथवा नए प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे ।

3. बोर्ड द्वारा प्रस्तावों पर कार्यवाही :-

1 बोर्ड के सचिव को जैसे ही निजी निवेश का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त होगा, वे उसे संबंधित विभागों को भेजेंगे । विभाग उसे प्रोसेस कर 10 दिवस की समयावधि में अभिमत सहित संक्षेपिका तैयार करेगा । संक्षेपिका में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि विभाग से प्रस्तावक क्या अपेक्षाएँ हैं तथा उन्हें पूरी करने के संबंध में विभाग का क्या दृष्टिकोण है ।

2 निर्धारित अवधि तक संबंधित विभागों से प्राप्त अभिमत सहित सम्पूर्ण एजेण्डा नोट बोर्ड के सचिव, बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजेंगे । जिन विभागों से निर्धारित अवधि में अभिमत प्राप्त नहीं होगा, उनके संबंध में इस बाबद् एजेण्डा नोट में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा ।

3 बोर्ड की बैठक में उन सभी विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव को बुलाया जाएगा, जिनसे संबंधित विषय वस्तु पर बोर्ड में चर्चा की जाना अपेक्षित हो ।

4 बोर्ड की बैठक में संबंधित संस्था / निवेशक के प्रतिनिधी को भी आमंत्रित किया जाएगा ।

5 बोर्ड की बैठक में आमंत्रण की सूचना, एजेण्डा नोट एवं मिनिट्स बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से, सचिव द्वारा जारी किए जाएँगे ।

6 बोर्ड के सचिव द्वारा प्रदेश में निजी निवेश संबंधी समस्त प्रस्तावों एवं उनकी प्रोसेसिंग का कम्प्यूटराईज्ड डाटा बेस तैयार किया जाएगा, जो ऑन-लाईन मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध रहेगा । बोर्ड के सचिव, बोर्ड की कार्यवाही के संबंध में

मुख्यमंत्री कार्यालय से निरंतर सम्पर्क में रहेंगे एवं इस सम्बन्ध में सुदृढ़ मॉनीटरिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे ।

7 सामान्यतः बोर्ड के समक्ष 25 करोड़ या उससे अधिक लागत के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, परन्तु किसी प्रस्ताव को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा कि उसका पूँजी निवेश 25 करोड़ रूपए से कम है ।

8 निजी पूँजी निवेश संबंधी यदि कोई प्रस्ताव सीधे विभाग को प्राप्त होता है, तब प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित विभाग तत्काल बोर्ड के सचिव को भेजेगा । भले ही विभाग के मत से प्रस्ताव कियान्वयन योग्य न हो ।

9 निजी पूँजी निवेश संबंधी ऐसे प्रस्ताव, जो स्वीकार योग्य नहीं हैं, उनके संबंध में भी बोर्ड के समक्ष टीप प्रस्तुत की जाएगी ।

10 विभाग अपनी प्रचलित परियोजनाओं (Ongoing Projects) में आने वाली अर्न्तविभागीय समन्वय की समस्याओं का समाधान इस बोर्ड के माध्यम से कराना चाहते हों, तो वे तद्नुसार प्रस्ताव बोर्ड के सचिव को भेज सकते हैं । प्रस्ताव भेजते समय बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखने के युक्तियुक्त कारण का स्पष्ट विवरण विभाग द्वारा दिया जाए ।

(राकेश साहनी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय",
वल्लभ भवन, भोपाल-462004.

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2006.

क्रमांक: एफ 19/51/2006/1/4, :: राज्य शासन द्वारा उद्योग सेवा अधोसंरचना क्षेत्र में कम से कम 25 करोड़ रूपए की नवीन निवेश परियोजनाओं को स्वीकृति देने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड इम्पलीमेंटेशन बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण	सदस्य
7.	सचिव, मुख्य मंत्री	सदस्य
8.	प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल.	सदस्य सचिव,

2/- संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव अपना प्रोजेक्ट बोर्ड के सदस्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं बोर्ड की बैठक में आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकेंगे।

3/- बोर्ड के सदस्य सचिव, प्राप्त प्रस्तावों पर संक्षेपिका एवं अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार कर बोर्ड के सदस्यों को भेजकर बोर्ड की बैठक आयोजित करेंगे। प्रोजेक्ट से संबंधित विभागों को प्रकरणों में परीक्षण कर अपना अभिमत प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जावेगा।

निरंतर ... 2

4/- प्रकरणों में बोर्ड की अनुशंसाओं पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । तत्पश्चात बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों को निर्णय से सूचित करेंगे । यदि प्रकरण में मंत्रि-परिषद का अनुमोदन आवश्यक होता है तो संबंधित विभाग मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

5/- बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से माह में दो बार प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित की जायेगी एवं तत्संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी । आवश्यक होने पर संबंधित निवेशक को या उनके प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी०एस० राय) 18/4/2006
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ०क्र०:एफ 19/51/2006/1/4,
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2006.

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्यगण / सदस्य सचिव
2. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की ओर नस्ती सहित
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
4. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय प्रकोष्ठ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(सुनीता त्रिपाठी)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.